न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 09 / 2022

राज.सरकार जरिये वैशाली धाकड़, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय भरतपुर
......प्रार्थी

बनाम

1—श्री नितिन सिंह निवासी गौरव पथ रोड कस्बा रुदावल।
2—श्री हीरा सिंह पुत्र रामसिंह निवासी गौरव पथ रोड़ कस्बा रुदावल

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :—
1—पैरोकार सरकार रसद
2—श्री पंकज कुमार अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय दिनांक 03—08—2023

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि शिकायत जांच के सम्बन्ध में दिनांक 19.12.2022 को गौरव पथ रोड कस्बा रुदावल स्थित नितिन सिंह की दुकान रुदावल पर पहुंच कर जॉच की गई । मौके पर दुकानदार नितिनसिंह उपस्थित नहीं मिले। जांच में मौके पर दुकान में एचपीसीएल के 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मौजूद पाये गये जिसमें 6 भरे एवं 3 खाली मिले। दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति हीरासिह से पूछताछ करने उसने मौजूदा सिलेण्डरों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज वगे पेश नहीं किये । अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गम्भीर व संवेदनशील है इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रुप से भण्डारण किया जाना पाया गया। अप्रार्थी. का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके पर जप्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (जिसमें 6 भरे एवं 3 खाली) समान को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. को नोटिस धारा 6बी ईसी एक्ट जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

.........2

पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अप्रार्थी. द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रुप से भंडारण किया हुआ था, अप्रार्थी की दुकान में वक्त जांच मौके पर एचपीसीएल के 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मौजूद पाये गये जिसमें 6 भरे एवं 3 खाली मिले, अप्रार्थी की दुकान में इतने घरेलू गैस सिलेण्डर के बारे में अप्रार्थी के पास कोई वैध दस्तावेज या भण्डारण सम्बन्धी अनुमति आदि नहीं थे। अप्रार्थी का अपने जबाव में यह कहना कि यह सिलेण्डर उपभोक्ताओं के थे अप्रार्थी का यह कथन बाद की सोच के तहत अंकित किया गया है। वक्त जांच फर्द जप्ती कार्यवाही के समय किसी ने भी सिलेण्डरों की बाबत कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। अतः अप्रार्थी का यह कृत्य कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके पर जप्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (जिसमें 6 भरे एवं 3 खाली) समान को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि जिस स्थल पर कार्यवाही की गई वह स्थान कृष्णा राधे एचपी गैस ऐजेंसी का अधिकृत स्थल है जहाँ राज्य सरकार के नियमों के तहत वैध रुप से सिलेण्डर रखे जाते हैं। उक्त स्थल पर किसी प्रकार से अवैध सग्रहण नहीं किया जा रहा था। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी तर्क है कि मौके पर 6 भरे व 3 खाली कुल 9 सिलेण्डरों में से 2 खाली सिलेण्डर दो उपभोक्ताओं के थे जो वक्त कार्यवाही अपने खाली सिलेण्डरों के बदले भरा सिलेण्डर लेने आये थे। प्रवर्तन निरीक्षक ने यह कार्यवाही कानूनी प्रावधानों के विपरीत की गई है। प्रार्थना पत्र धारा 6ए खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई तथा जप्त सिलेण्डरों को प्रार्थी को वापिस दिये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक ने अप्रार्थी की दुकान जो कि गौरव पथ रोड कस्बा रुदावल स्थित है कि मौके पर जांच की गई है। मोके पर दुकान में एचपीसीएल के 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर मौजूद पाये गये जिसमें 6 भरे एवं 3 खाली मिले हैं। दुकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण रखने के बारे में अप्रार्थी ने अनुमति पत्र या वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह कहना कि जहाँ गैस सिलेण्डर मिले हैं वह स्थल गैस सिलेण्डर का संग्रहरण का अधिकृत स्थल है अप्रार्थी का यह कथन माने जाने योग्य नहीं क्यों कि अप्रार्थी ने सिवाय मौखिक कथनों के ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें अधिकृत दुकान स्थल का नक्शा दर्शाया गया हो हमारे समक्ष पेश नहीं किया है जिससे उनके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गम्भीर व संवेदनशील है। कार्यवाही फर्द जप्ती के अवलोकन से

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

स्पष्ट है कि यह कार्यवाही प्रवर्तन निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार रुदावल एवं मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की मौजूदगी में की गई है। वक्त जप्ती कार्यवाही किसी ने अपना एतराज दर्ज कराने का कोई उल्लेख फर्द कार्यवाही में नहीं है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब किये गये कथन बाद की सोच को दर्शाते हैं। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके पर जप्त 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (जिसमें 6 भरे एवं 3 खाली) समान को राजसात किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त एचपीसीएल के 14.2 किग्रा भराव क्षमता के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर (6 भरे एवं 3 खाली) को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर को सम्बन्धित कम्पनी में जमा करायें तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86(23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राज्य कोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर